



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062021-227363
CG-DL-E-03062021-227363

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2002]
No. 2002]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 3, 2021/ज्येष्ठ 13, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 3, 2021/JYAISTHA 13, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2021

का.आ. 2159(अ).— केंद्रीय सरकार की यह राय है कि व्यक्ति विशिष्ट प्रकार के यानों को चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति के ज्ञान के संबंध में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और विधि प्रवर्तन अभिकरण, जिनेवा अभिसमय, 1949 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय चालन अनुज्ञा में उल्लिखित यान के वर्ग के निर्वाचन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और ऐसा करना आवश्यक समझा गया है। अतः अब केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1989 का 59) की धारा 41 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी की गई चालन अनुज्ञप्ति के आधार पर मोटर यान के प्रकारों को विनिर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात् :-

“यानों के वर्ग के लिए जारी की गई चालन अनुज्ञप्ति के आधार पर मोटरयानों के प्रकार”

सारणी

मोटर यान	चालन अनुज्ञप्ति के वर्ग	केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के अनुसार यान के प्रवर्ग	जिनेवा अभिसमय 1949 के आधार पर यान के वर्ग	जिनेवा अभिसमय 1968 के आधार पर यान के वर्ग
1. मोटर	गियर के बिना मोटर	एल 1	ए	ए 1

साइकिल;	साइकिल (एमसीडब्ल्यूओजी); गियर के साथ मोटर साइकिल (एमसीडब्ल्यूजी);	एल 2	ए	ए/ए 1
	उपयुक्त यान	उपयुक्त यान	ए	-
2. हल्के मोटर यान;	उपयुक्त यान	उपयुक्त यान	-	-
	ई-रिक्शा	ई-रिक्शा	बी	बी 1
	ई-गाड़ी	ई-गाड़ी	बी	बी 1
	हल्के मोटर यान (एलएमवी)	एल 5 –एम	बी	बी 1
		एल 5 –एन	बी	बी 1
		एल 7 –एम	बी	बी 1
		एल 7 –एन	बी	बी 1
		एम 1	बी	बी 1
		एन 1	बी	बी 1
		एन 2 ¹	सी	सी/सी1ई
		एम 2	डी	डी
		एम 3 ²	डी	डी
3. मध्यम और भारी मोटर यान ।	परिवहन यान	एन 2	सी	सी/सी1ई
		एम 3	डी	डी
		एन 3	ई	सीई

इस आदेश के प्रयोजनों के लिए –

1. उपरिलिखित 1. – एन2 प्रवर्ग के मोटर यान जिनका सकलभार 3.5 टन से अधिक है लेकिन 7.5 टन से अनधिक है।

2. उपरिलिखित 2 – एम3 प्रवर्ग के मोटर यान जिनका सकलभार 5 टन से अधिक है लेकिन 7.5 टन से अनधिक है।

2. प्रवर्ग टी अर्थात् ट्रेलर और अर्द्ध-ट्रेलर जो मोटर यान (मुख्य परिववाहक या पुलर) द्वारा खींचे जाते हैं और उसका यान वर्ग, मोटर यान (मुख्य परिववाहक या पुलर) के प्रवर्ग पर निर्भर करेगा।

3. जिनेवा अभिसमय 1949 के आधार पर यान का वर्गीकरण

क : साइड-कार के साथ या उसके बिना मोटर साइकिल, अशक्त यात्री गाड़ी और 400 कि.ग्रा. (900 एलबीएस) से अनधिक लदान रहित भार के साथ तिपहिया मोटर यान;

ख: यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग किया गया मोटर यान और जिसमें चालक सीट के अतिरिक्त 8 सीटें समाविष्ट होंगी या जो माल के परिवहन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं और जिनका अनुज्ञेय अधिकतम भार 3,500 (7,700 एलबीएस) से अनधिक है। इस प्रवर्ग के यान हल्के ट्रेलर के साथ युग्मित हो सकेंगे ;

ग : माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर यान और जिनका अनुज्ञेय अधिकतम भार 3,500 कि.ग्रा. (7,700 एलबीएस) से अधिक है। इस प्रवर्ग के यान हल्के ट्रेलर के साथ युग्मित हो सकेंगे ;

घ : मोटर यान जो यात्रियों के परिवहन के लिए प्रयोग किए जाते हैं और जिसमें चालक सीट के अतिरिक्त आठ से अधिक सीटें समाविष्ट हैं। इस प्रवर्ग के यान हल्के ट्रेलर के साथ युग्मित हो सकेंगे ;

ड : प्रवर्ग ख, ग या घ के उपरोक्त यथाप्राधिकृत मोटर यान जो हल्के ट्रेलर से भिन्न के साथ हैं।

4. जिनेवा अभिसमय 1968 के आधार पर यान का वर्गीकरण

क. मोटर साइकिल;

क 1 : 125 सेमी³. क्यूब से अनधिक घनक्षमता और 11 कि.वा. से अनधिक की शक्ति के साथ मोटर साइकिल (हल्की मोटर साइकिल);

ख . मोटर यान जो प्रवर्ग क से भिन्न हैं, जिनका अनुज्ञेय अधिकतम द्रव्यमान की 3,500 कि.ग्रा. से अनधिक है और जिनमें ड्राइवर सीट के अतिरिक्त 8 सीटों से अनधिक है; या ट्रेलर के साथ युग्मित प्रवर्ग ख के मोटर यान, जिनका अनुज्ञेय अधिकतम द्रव्यमान 750 कि.ग्रा. से अनधिक है; या ट्रेलर के साथ युग्मित प्रवर्ग ख के मोटर यान, जिनका अनुज्ञेय अधिकतम द्रव्यमान 750 कि.ग्रा. से अनधिक है लेकिन जो मोटर यान के लदान रहित द्रव्य मान के अनधिक है जहां इस प्रकार युग्मित यान का अधिकतम अनुज्ञेय संयुक्त द्रव्यमान 3500 कि.ग्रा. से अनधिक है;

ख 1 : तिपहिया और चौपहिया मोटर ;

ग : मोटर यान, जो प्रवर्ग घ से भिन्न हैं, जिनका अनुज्ञेय अधिकतम द्रव्यमान की 3,500 कि.ग्रा. से अनधिक है और ; या ट्रेलर के साथ युग्मित प्रवर्ग ग के मोटर यान जिनका अनुज्ञेय अधिकतम द्रव्यमान 750 कि.ग्रा. से अनधिक है;

ग 1 : उनके अपवाद में मोटर यान जो प्रवर्ग घ में है, जिनका अनुज्ञेय अधिकतम द्रव्यमान 3500 कि.ग्रा. से अधिक है लेकिन 7500 कि.ग्रा. से अनधिक है या ट्रेलर से युग्मित ग1 उप प्रवर्ग के मोटर यान जिनका अनुज्ञेय अधिकतम द्रव्यमान 750 कि.ग्रा. से अनधिक है।

गड. : ट्रेलर से युग्मित प्रवर्ग ग के मोटर यान जिनका अनुज्ञेय अधिकतम द्रव्यमान 750 कि.ग्रा. से अधिक है;

ग1ड : ट्रेलर से युग्मित उपप्रवर्ग ग के मोटर यान जिनका अनुज्ञेय अधिकतम द्रव्यमान 750 कि.ग्रा. से अधिक है लेकिन जो मोटर यान के लदान रहित द्रव्य मान के अनधिक है जहां इस प्रकार युग्मित यान का अधिकतम अनुज्ञेय संयुक्त द्रव्यमान 12000 कि.ग्रा. से अनधिक है;

घ : यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग किए गए मोटर यान और जिसमें चालक के अतिरिक्त 8 से अधिक सीट है; या ट्रेलर के साथ युग्मित प्रवर्ग के मोटर यान जिनका अनुज्ञेय अधिकतम द्रव्यमान 750 कि.ग्रा. से अधिक है।

[फा. सं. आर टी – 11036/127/2020-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2021

S.O. 2159(E).—Whereas, the Central Government is of the opinion that persons are facing difficulties in respect of knowledge of driving license to drive particular types of vehicles, and the law enforcement agencies are facing difficulties in interpretation of vehicle class mentioned in the International Driving Permit as per Geneva Convention, 1949 and it is considered necessary so to do. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 41 of the Motor Vehicles, Act, 1988 (59 of 1989), the Central Government hereby issues the following Order to specify types of Motor Vehicle on the basis of driving license issued, namely: -

“Types of Motor Vehicles based on driving license issued for class of vehicle

TABLE

Motor Vehicles	Driving License Classes	Category of vehicle as per the Central Motor Vehicle Rules, 1989	Vehicle Classes based on Geneva Convention, 1949	Vehicle Classes based on Vienna Convention, 1968
1. Motor Cycle;	Motor cycle without gear (MCWOG); Motor cycle with Gear (MCWG)	L1	A	A1
		L2	A	A/A1
	Adapted Vehicle	Adapted Vehicle	A	-
2. Light Motor Vehicle;	Adapted Vehicle	Adapted Vehicle	-	-
	E-Rickshaw	E-Rickshaw	B	B1
	E-cart	E-cart	B	B1
	Light Motor Vehicle (LMV)	L5-M	B	B1
		L5-N	B	B1
		L7-M	B	B1
		L7-N	B	B1
		M1	B	B
		N1	B	B
		N2 ¹	C	C/C1E
		M2	D	D
		M3 ²	D	D
3. Medium and Heavy Motor Vehicle.	Transport Vehicle	N2	C	C/C1E
		M3	D	D
		N3	E	CE

For the purpose of this order –

1. Superscript 1- Motor Vehicle of N2 category having a Gross Vehicle Weight exceeding 3.5 tonnes but not exceeding 7.5 tonnes.

Superscript 2- Motor Vehicle of M3 category having a Gross Vehicle Weight exceeding 5 tonnes but not exceeding 7.5 tonnes.

2. Category T i.e. trailers and semi-trailers are towed by a motor vehicle (prime mover or puller) and its vehicle class shall depend on the category of motor vehicle (prime mover or puller).

3. Vehicle Classification based on Geneva Convention, 1949

A: Motor cycles, with or without a side-car, invalid carriages and three-wheeled motor vehicles with an unladen weight not exceeding 400 kg (900 lbs);

B: Motor vehicles used for the transport of passengers and comprising, in addition to the driver's seat, at most eight seats, or those used for the transport of goods and having a permissible maximum weight not exceeding 3,500 kg (7,700 lbs). Vehicles in this category may be coupled with a light trailer;

C: Motor vehicles used for the transport of goods and of which the permissible maximum weight exceeds 3,500 kg (7,700 lbs). Vehicles in this category may be coupled with a light trailer;

D: Motor vehicles used for the transport of passengers and comprising, in addition to the driver's seat, more than eight seats. Vehicles in this category may be coupled with a light trailer;

E: Motor vehicles of category B, C, or D, as authorized above, with other than light trailer.

4. Vehicle Classification based on Vienna Convention, 1968

A: Motorcycles;

A1: Motorcycles with a cubic capacity not exceeding 125 cm³ and a power not exceeding 11 kW (light motorcycles);

B: Motor vehicles, other than those in category A, having a permissible maximum mass not exceeding 3,500 kg and not more than eight seats in addition to the driver's seat; or motor vehicles of category B coupled to a trailer the permissible maximum mass of which does not exceed 750 kg; or motor vehicles of category B coupled to a trailer the permissible maximum mass of which exceeds 750 kg but does not exceed the unladen mass of the motor vehicle, where the combined permissible maximum mass of the vehicles so coupled does not exceed 3,500 kg;

B1: Motor tricycles and quadricycles;

C: Motor vehicles, other than those in category D, having a permissible maximum mass exceeding 3,500 kg; or motor vehicles of category C coupled to a trailer the permissible maximum mass of which does not exceed 750 kg;

C1: Motor vehicles, with the exception of those in category D, the permissible maximum mass of which exceeds 3,500 kg but does not exceed 7,500 kg; or motor vehicles of subcategory C1 coupled to a trailer, the permissible maximum mass of which does not exceed 750 kg;

CE: Motor vehicles of category C coupled to a trailer whose permissible maximum mass exceeds 750 kg;

C1E: Motor vehicles of subcategory C1 coupled to a trailer the permissible maximum mass of which exceeds 750 kg but does not exceed the unladen mass of the motor vehicle, where the combined permissible maximum mass of the vehicles so coupled does not exceed 12,000 kg;

D: Motor vehicles used for the carriage of passengers and having more than eight seats in addition to the driver's seat; or motor vehicles of category D coupled to a trailer the permissible maximum mass of which does not exceed 750 kg.”

[F. No. RT-11036/127/2020-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.